

रिपोर्ट पटवारी व मू.अ.नि.

श्रीमानजी प्रार्थी सुबरात घीसा पिं छोड सुबानी पलि छोड के उर्थना पत्र की जॉच मजमे आममे की गई एवं राजस्व रिकार्ड से की गई। प्रार्थियों कानाम राजस्व रिकार्ड ग्राम काशीपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं: 151 में "बीसा सुबरात पिं माधु सुबानी पलि छोड" दर्ज है। मजमे आम में जांच में पाया कि प्रार्थियों के पिताजी कानाम माधु न होकर सही नाम छोड है। प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, कागशाह कार्ड, वाशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ग्राम पंचायत मोफगा के सरपंच की तस्वीर इत्यादि से सुबरात घीसा पिं छोड सुबानी पलि छोड "सही हैना सिइ होता है। अतः ग्राम काशीपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता सं: 151 में अशुद्ध अंकन सुबरात घीसा पिं छोड माधु सुबानी पलि माधु के स्थान पर शुइ अंकन सुबरात घीसा पिं छोड सुबानी पलि छोड" सुकत किमा जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

दिनांक 18
हस्ताक्षर
पटवारी मोफगा

ILR
खावा

रिपोर्ट पटवारी व मू.अ.नि. एवं सैलमन दस्तावेजों के आधार पर ग्राम काशीपुरा के खाता सं 151 में सुबरात घीसा पिं माधु व सुबानी पत्नी माधु के स्थान पर सुबरात घीसा पिं छोड सुबानी पत्नी छोड सुकत किने जाने की सुचेष की जाती है।

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष-2018

एवम्

समस्या समाधान शिविर/लोक अदालत/केम्प कोर्स

आदेश

तहसीलदार-मसूदा
जिला-अजमेर (राज.)

165
01/06/18
रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा के आधार पर ग्राम काशीपुरा के खाता सं 151 में सुबरात घीसा पिं माधु व सुबानी पत्नी माधु के स्थान पर सुबरात घीसा पिं छोड व सुबानी पत्नी छोड सुकत किने जाने की सुचेष की जाती है।

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

उप खण्ड अधिकारी

